राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

क्रमांक /राजस्व/2026/ 48 दिनांक :– 12/02/2026

:आदेश:

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू. अभिलेख नियम 1957 मौजा **जगमाल का तला पटवार मण्डल सेतराऊ के खातेदारी खेत खसरा नंबर 694/280 रकबा 15.3457 हैक्टेयर** किस्म बा.दो. में एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है जो वर्तमान में गैर मुमकिन रास्ता हैं, परन्तु राजस्व अभिलेख एंव राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का कही भी अंकन नही है। उक्त रास्तें का राजस्व रेकर्ड में अंकन संलग्न दर्शाये बरंग लाल के अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज– 6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रसतावित किया गया है।

क. स.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टेयर	किस्म	रास्ते में प्रभावित भूमि रकबा हेक्टेयर में	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरें का रकबा हेक्टेयर में
1.	**जगमाल का तला** **पटवार मण्डल सेतराऊ**	**694/280**	**15.3457**	बा.दो.	**0.3096 (लंम्बाई 565 X चौडाई 5.48 मीटर) अर्थात 18 फीट**	**(1.) 6.3130** (2.) [redacted] 8.7231 **योगः– 15.0361**

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मौके पर स्थाई रूप ल रहे कदीमी/ बारहमासी रास्ता जो हर मौसम /सीजन के अनुसारबदलता नही है एंव वर्ष भर आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध रहता है। जो वर्तमान में चालू हैं तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में रास्ते में उपयोग में ली जा रही है। अतः तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेशित उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न नक्शे में सलग्न बरंग लाल अनुसार निजि खातेदारी भूमि में से चालू स्थाई रास्ता संबधित खातेदार की खातेदारी रखते हुये नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नंबर दिया जाकर संलग्न नक्शे में सलग्न बरंग लाल अनुसार रास्ते के रकबे सहित किस्म गेरमुमकिन भूमि रास्ता **सडक** दर्ज करनें के आदेश दिये जाते है। अतः तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है..कि उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

क्रमांक /राजस्व/2025/ 49-50 दिनांक :– 12/02/2026

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर निर्णय की प्रति भेजकर लेख हैं कि निर्णय की पालना की जाकर पालना रिर्पोट से इस न्यायालय को अवगत करावे।
2. पटवारी हल्का सेतराऊ।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner